रजिस्ट्री सं० डी० एल०-2241/71 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 1974/पौष 11, 1895

No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 1974/PAUSA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st January 1974

No. A.11013/E/122/72-Ad.IV.—In supersession of the orders contained in their Resolution F. No. A.11013/E/122/72-Ad.IV, dated the 14th July, 1973, the Government of India have decided that the Tobacco Excise Tariff (Expert) Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) before the 30th June, 1974.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

M. R. YARDI, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1974

सं० 11013/ई/122/72-प्रशा० IV.—दिनांक 14 जुलाई, 1973 के संकल्प सं० ए०/11013/ई/122/72-प्रशा० IV में निहित आदेशों का अधिलंघन करते हुए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि तम्बाकू उत्पादन शुल्क टैरिफ (विशेषज्ञ) समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को 30 जून, 1974 से पहले पेश करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी जाय तथा इसे सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

मधुकर यार्दी, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974